संचिका सं0–10/यो0–01–04/2018 1025(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक– 30-01-19

विषयः– **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचारी एवं गैर संचारी रोगों के निवारण हेतु स्वास्थ्य मेलों के आयोजन करने हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा निदेश के क्रम में द्वितीय अनुपूरक आगणन से उपबंधित केन्द्रांश मद में रुपये 2.88 करोड़ (दो करोड़ अठ्ठासी लाख रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 1.92 करोड़ (एक करोड़ बानवे लाख रुपये) अर्थात् कुल रुपये 4.80 करोड़ (चार करोड़ अस्सी लाख रुपये) राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित स्वीकृति।**

आदेशः स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–10(36)/2016-NHM (Part), दिनांक–08.10.2018 के क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचारी एवं गैर संचारी रोगों के निवारण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों तथा चिकित्सा के विभिन्न पद्धतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य मेलों का आयोजन राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से किया जाना है। इन मेलों से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि के माध्यम से आयोजित किये जा रहे स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों एवं विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों (एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी आदि) के बारे में लोगों को जानकारी देने में सहायता मिल पाएगी। इस तरह के मेलों का आयोजन से प्रयोगशाला सेवाओं, परामर्श औषधि एवं उपचार, रेफरल इत्यादि जैसी समस्त स्वास्थ्य सुविधाए एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना अपने आपमें एक अनूठा अवसर होगा।

2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–10(36)/2016-NHM (Part), दिनांक–08.10.2018 के द्वारा बिहार राज्य में हेल्थ मेला के आयोजन हेतु कुल राशि रुपये 4,80,00,000/–(चार करोड़ अस्सी लाख रुपये) स्वीकृत किये जाने की सूचना दी गयी है। तदक्रम में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय पत्रांक–5096, दिनांक–26.10.2018 के मांग पत्र के आधार पर केन्द्रांश मद में रुपये 2.88 करोड़ (दो करोड़ अठ्ठासी लाख रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 1.92 करोड़ (एक करोड़ बानवे लाख रुपये) अर्थात् कुल रुपये 4.80 करोड़ (चार करोड़ अस्सी लाख रुपये) स्वास्थ्य मेलों के आयोजन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से एन०एच०एम० मिशन अन्तर्गत संगत शीर्ष में राशि उपबंधित की गयी है, जिसके व्यय निमित स्वीकृति राज्य स्वास्थ्य समिति को प्रदान की जाती है।

3. एन०एच०एम० अन्तर्गत प्रत्येक स्वास्थ्य मेला के लिए सहायता क्रमशः लोकसभा/राज्य सभा–माननीय संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र/मॉडल जिले के अनुसार प्रत्येक वर्ष 12 लाख (बारह लाख रुपये) होगी। इस निधि का उपयोग निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक जिले में एक मेले का आयोजन करने अथवा किसी निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित जिलों में एक से अधिक मेलों, जैसा कि माननीय संसद

सदस्य द्वारा निर्णय किया गया हो, का आयोजन करने के लिए किया जाएगा। प्रत्येक स्वास्थ्य मेला का आयोजन 2 (दो) दिवसों के लिए किया जाएगा। साथ ही, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी स्वास्थ्य मेलों के आयोजन संबंधी दिशा निदेश के अनुरूप ही सारी कार्रवाई की जाएगी।

4. मिशन निदेशक तद्नुसार जिलाधीश/आयुक्त/ प्रमुख चिकित्सा पदाधिकारी का चयन कर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन का निर्णय कर निधि जारी करेंगे। आयुक्त/जिला पदाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के परस्पर सामंजस्य एवं विचार विमर्श कर स्वास्थ्य मेले के स्थान एवं तिथि को अंतिम रूप दिया जाएगा, इसके स्थान के चयन चिकित्सा कॉलेज/सिविल अस्पताल के समीप किया जाएगा ताकि अल्ट्रासाउण्ड, पैथोलॉजिकल जाँच आदि की सुविधायें प्रदान की जा सके।

स्वास्थ्य मेले हेतु निधियों की उपयोगिता व व्यय के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को जानकारी देने की प्रक्रिया एन०एच०एम० के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किये जाने वाले अन्य कार्यकलापों के अनुरूप ही होगी।

5. केन्द्रांश एवं राज्यांश मद् की उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में अधोलिखित उपशीर्ष अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगाः–

(क) केन्द्रांश–

(i) मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय–उप शीर्ष–0203–एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड–20-2210031100203, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9156, विषय शीर्ष–31 06–सहायक अनुदान– वेतनादि के अलावा मद् में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त एवं पुनरीक्षित उपबंधित राशि रुपये 4,83,01,93,000/–में से रुपये 2,88,00,000/– (दो करोड़ अठ्ठासी लाख रुपये) से विकलनीय होगा।

(ख) राज्यांश–

(i) मांग संख्या–20 के मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 0303–एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड–20-2210031100303, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9156, विषय शीर्ष–31 06–सहायक अनुदान– वेतनादि के अलावा मद् में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त एवं पुनरीक्षित उपबंधित राशि रुपये 2,93,23,00,000/–में से रुपये 1,92,00,000/–(एक करोड़ बानवें लाख रुपये) से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होगें।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म संख्या–46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0एल0 खाता–PLA-263 विपत्र कोड–K8448001200027 में सुलभ करायेगें। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय एवं मासिक अनुश्रवण करते रहेंगे।

8. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र सं0–8244, दिनांक–02.08.2010 की कंडिका–2(ख) के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य मेलों के आयोजन से संबंधित दिये गये दिशा निदेश के अनुलग्नक–1 के अनुरूप तैयार कर प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेंगे । साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम–341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।

9. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक–05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक–27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक–03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक–09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

11. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–10/यो0–01–04/2018 के पृष्ठ–...2.../टि0 पर प्राप्त है ।

12. राशि की निकासी विकास भवन, नया सचिवालय कोषागार, पटना से की जाएगी ।

13. राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. एतद्‌संबंधी आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29/1/19

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–10/यो0–01–04/2018 1025 (10) /स्वा0, पटना, दिनांक– 30-01-19

प्रतिलिपि– सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि–अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (रा०स्वा०मि०), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/1/19
सरकार के विशेष सचिव।